उत्तराखंड में लागू होगी नई राजस्व संहिता

चर्चा में क्यों?

16 सितंबर, 2022 को उत्तराखंड राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव चंद्रेश कुमार यादव ने बताया कि उत्तराखंड में नई राजस्व संहिता (रेवेन्यु कोड) लागू होगी। राजस्व परिषद ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर शासन को सौंप दिया है।

प्रमुख बिंदु

- अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित विधि समिति की बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। इसके बाद इसे कैबिनेट को भेज दिया जाएगा। कैबिनेट से पास होने के बाद यह विधानसभा में जाएगा। जहाँ से पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा।
- गौरतलब है कि प्रदेश में वर्तमान में उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम) 1950 और भू राजस्व अधिनियम लागू हैं। इसके अलावा कुछ अन्य अधिनियम भी प्रचलन में हैं। ये सभी अधिनियम उत्तर प्रदेश से धारण किये गए हैं।
- समय-समय पर इन अधिनियमों में कुछ उप-धाराएँ जोड़ी गईं, लेकिन राज्य का पूर्ण रूप से अपना रेवेन्यु कोड नहीं बन पाया, जबकि उत्तर प्रदेश ने इन्हें समाप्त करते हुए अपना रेवेन्यु कोड वर्ष 2013 में लागू कर दिया था। अब प्रदेश में लागू सभी अधिनियम को मर्ज करते हुए अपना रेवेन्यु कोड तैयार किया जाएगा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/new-revenue-code-will-be-implemented-in-uttarakhand